

संयुक्त सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 63/2024/2066/छिहत्तर-1-2024/-1739613, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, लखनऊ दिनांक 29.08.2024 के द्वारा निर्गत आदेश "प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2024" के अनुसार मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ के पत्रांक 569/011-Nivida/25 दिनांक 05-03-2025 के द्वारा जनपद मेरठ में पूर्व निर्मित ग्रामीण पेयजल योजनाओं (जल निगम/ ग्राम पंचायत द्वारा संचालित) हेतु मै० हेत्वी कन्स्ट्रक्शन्स लि०-भूरत्नम कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा०लि० (जे०वी०) को नामित किया गया है, जिनके द्वारा प्राक्कलन विरचन का कार्य प्रक्रियाधीन है। विरचित प्राक्कलन की स्वीकृति के उपरान्त नियमित संचालन एवं अनुरक्षण नामित फर्म द्वारा किया जायेगा।

Asst
52
ABHISHEK GAUTAM
J.E